भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 404
21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-डीडीकेवाई के तहत चयन पद्धति

404. श्री जी. कुमार नायक:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के अंतर्गत चयन के लिए कृषि उत्पादकता, फसल सघनता और ऋण संवितरण के मानदंडों के आधार पर जिला-वार अंक और रैंकिंग तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए विचार किए गए सभी जिलों के मानदंड-वार अंक और रैंकिंग क्या है;

(ग) क्या सरकार चयन के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली, प्रत्येक पैरामीटर को दिए गए वेटेज और कट-ऑफ मूल्यों को सार्वजनिक रूप से जारी करेगी;

(घ) क्या निर्धारित मानदंडों में से एक या अधिक को पूरा करने के बावजूद किन्हीं जिलों को बाहर रखा गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने चयन पद्धति का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन या सत्यापन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (डीडीकेवाई) के अंतर्गत शामिल जिलों का चयन तीन 100 संकेतकों के आधार पर किया गया है जिनमें कम उत्पादकता, कम फसल सघनता तथा कम कृषि ऋण वितरण शामिल है।

प्रत्येक राज्य के लिए जिलों की संख्या निवल फसल क्षेत्र और परिचालन जोतों की संख्या पर आधारित है, ताकि संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हो सके तथा जहाँ इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है वहाँ कृषि विकास को बढ़ावा मिल सके।

(ग) एवं (घ): इस कार्यप्रणाली में उपर्युक्त तीनों संकेतकों के प्रकाशित आँकड़ों का उपयोग किया गया है, जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। प्रत्येक राज्य को डीडीकेवाई के अंतर्गत कमजिल 1 कम-से-े के साथ शामिल किया गया है जो निवल ,फसल क्षेत्र और परिचालन जोतों की संख्या पर आधारित है, अतः किसी को बाहर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अलावा, यदि राज्य ऐसे अतिरिक्त ज़िलों की पहचान करते हैं जिन पर इसी प्रकार का विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, तो वे अपने मौजूदा प्रशासनिक तंत्र और उपलब्ध योजना संसाधनों का उपयोग करते हुए उन ज़िलों में भी इसी रूपरेखा और पद्धति को अपना सकते हैं और लागू कर सकते हैं।

(ङ): चूँकि यह योजना कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में है, अत: कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया है।
